न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : आ०प्र० 14(4) हनुमानप्रसाद बनाम दयोनारायण वगैरा
ज. 20/2013

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27-6-17	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार अनुपस्थित। वास्ते जवाब/इजहार समय चाहते हैं। अतः पत्रावली दिनांक 11-07-17 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
11-7-17	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार अनुपस्थित। हनुमान प्रसाद चौधरी वकील प्रार्थी का कथन है। पक्षकार से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए। पक्षकार को 27-2-17 को रजि०एडी० द्वारा सूचित भी किया गया है किन्तु रजिस्टर्ड बावजूद भी पक्षकार ने आकर सम्पर्क नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अब आगे पैरवी नहीं कर सकते हैं। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि दयो. सं. 1 व 2 की मृत्यु हो चुकी है और 90 दिवस की समयावधि गुजरने पर भी का०मु०का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र 14(4) अबेट हो चुका है अतः खारिज फरमाया जावे। इसने उभय पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी ने पक्षकार के जरिये रजि०एडी० सूचित करने की रसीद मय प्रार्थना प्रस्तुत किया है जिस पर सन्देह किये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा No instruction plead करने व निर्धारित अवधि में का०मु० प्रार्थना प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रार्थना-पत्र 14(4) खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 11-07-2017 को सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय)	